राजस्थान को०-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड।

बनाम

एस.एच. महा लक्ष्मी मिन्ग्रेट मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

सितंबर 17,1996

[एम. एम. पुंछी और सुजाता वी. मनोहर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226,136-रिट याचिका-तथ्य के विवादित प्रश्न-सरकारी अनुबंध की रखरखाव-ठेकेदार के पक्ष में जारी किया गया आशय पत्र-ठेकेदार ने आशय पत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया-परिणामस्वरुप आशय पत्र रद्द किया गया, ठेकेदार ने अनुबंध की प्रत्याशा में भारी खर्चों पर अंकुश लगाया। माना गयाः क्या ठेकेदार ने अनुबंध की प्रत्याशा में भारी खर्च किए और उसे वसूलने का हकदार था, यह तथ्य के विवादित प्रश्न थे-तथ्य के ऐसे विवादित प्रश्नों की न तो उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में जांच की जा सकती थी।

प्रशासनिक कानूनः

प्राकृतिक न्याय-निर्णय पूर्व सुनवाई-सरकारी अनुबंध-ठेकेदार के पक्ष में जारी किया गया आशय पत्र-रुपये की अपरिवर्तनीय रुपये 15 लाख की बैंक गारंटी का निर्दिष्ट आशय पत्र निर्धारित तिथि के भीतर समझौते का निष्पादन और समझौते के निष्पादन से पहले पिछले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट जमा करना-ठेकेदार ने शर्तों को पूरा नहीं किया, लेकिन खुद को एकमात्र बिक्री एजेंट बताते हुए गलत विज्ञापन जारी किया। माना गयाः आशय पत्र को रद्द करना मनमाना नहीं है। लैटर ऑफ इंटेंट को रद्द करने के निर्णय के लिए उचित कारण, मामलों की परिस्थितियों में दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेने के लिए बाहरी परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। परिस्थितियों में मामला निर्णय पूर्व सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी।

अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के उत्पादों के विक्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक आशय पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र में

निर्धारित शर्तों में रुपये 15 लाख की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर जमा करना तथा उस तारीख के भीतर एक समझौते का निष्पादन, समझौते के निष्पादन से पहले पिछले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट जमा करना।

हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने आशय पत्र की शर्तों को पूरा नहीं किया, लेकिन एक विज्ञापन जारी किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से खुद को अपीलार्थी के एकमात्र विक्रय एजेंट के रूप में वर्णित किया। इन कारणों से अपीलार्थी ने आशय पत्र को रद्द कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने आशय पत्र को रद्द करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका स्वीकार कर ली कि अपीलार्थी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से मनमाने ढंग से काम किया था और आशय पत्र को रद्द करने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। पीड़ित होने के कारण अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्याशा में अपीलार्थी के साथ संपर्क करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 1 ने भारी खर्च किए और वह प्रतिवादी संख्या 1 उन्हें अपीलार्थी से वसूल करने का हकदार था।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

1.1 . अपीलार्थी, एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के रूप में उस पक्ष की वित्तीय स्थिति के बारे में संतुष्ट होने का हकदार है। जिसे अपीलार्थी अपने विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त कर रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं और खुद को एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया है जबकि उसकी जानकारी में, प्रतिवादी संख्या 1 को एकमात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने

का कोई इरादा नहीं था, ये वैध परिस्थितियां हैं। जिसे अपीलार्थी यह निर्णय लेने में ध्यान में रख सकता है कि कोई अनुबंध करना है या नहीं और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कानूनी रूप से बाध्य करना है या नहीं। इन परिस्थितियों में, यदि आशय पत्र को रद्द कर दिया गया है तो इसे अपीलार्थी की ओर से मनमाने ढंग से की गई कार्यवाही नहीं माना जा सकता है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। [373-ए-सी]

1.2 . जब रद्द करने के कारणों को रद्दीकरण पत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अनुबंध रद्द करने का पत्र और एक में प्रवेश नहीं करने के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भरोसा की गई बाहरी परिस्थितियाँ निर्णय को दुर्भावनापूर्ण नहीं बना सकती हैं। [373 - डी]

1.3 . इन परिस्थितियों में ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत को भी आयात नहीं किया जा सकता है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 का आचरण ऐसा था कि इससे अपीलार्थी में कोई विश्वास पैदा नहीं हुआ, तो अपीलार्थी अपने विक्रय ऐजेंट के रुप में प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ किसी भी कानूनी संबंध में प्रवेश करने से इनकार करने का हकदार था।

आशय पत्र ने केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा व्यक्त किया था। यदि आशय पत्र में निर्धारित शर्तें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूरी नहीं की गईं, और यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 का आचरण अन्यथा ऐसा नहीं था जिससे विश्वास पैदा हो, तो अपीलार्थी आशय पत्र को वापस लेना का हकदार था। इस स्तर पर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच बाध्यकारी कोई कानूनी संबंध नहीं था, और अपीलार्थी यह तय करने में परिस्थितियों की समग्रता को देखने का हकदार था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करें या नहीं। [373-ई-एफ-जी]

2. प्रत्यर्थी सं. 1 का यह कथन कि उसने अपीलार्थी के साथ अनुबंध करने की प्रत्याशा में भारी खर्च किया है साक्ष्य पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि विवादित तथ्यों के आधार पर क्षति के लिए कोई दावा स्थापित करने की आवश्यकता है तो रिट

याचिका एक उचित कार्यवाही नहीं है। यह न्यायालय इस प्रश्न पर भी निर्णय नहीं देगा कि क्या एक अनुबंध में प्रवेश करने की प्रत्याशा में, एक पक्ष जो खर्च वहन करता है, उन्हें दूसरे पक्ष से वसूल कर सकता है यदि वह दूसरा पक्ष अंततः अनुबंध में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। [373-एच;374-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1992 का सिविल अपील सं. 2679।

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 7.8.91 से जो 1991 के डी.वी.सी.एस.ए सं. 169 में है।

अपीलकर्ताओं की ओर से सुधीर गुप्ता, साहिल रेज़वी और अरुणेश्वर गुप्ता हैं।

उत्तरदाताओं की ओर से एच. एन. सालवे और एस. वी. देशपांडे हैं।

न्यायालय का निर्णय श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, जे. द्वारा सुनाया गया। अपीलकर्ता-राजस्थान ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने लगभग 19 नवंबर 1988 की तारीख को एक विज्ञापन जारी कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, के क्षेत्रों के लिए अपने विभिन्न उत्पादों के बिक्री एजेंटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अपील को सत्तर आवेदन प्राप्त हुए थे। अंततः 1 जून 1990, को सरस ब्रांड डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कुछ शर्तों पर विपणन के लिए अपीलकर्ता के विक्रय एजेंट के रुप में प्रतिवादी सं० 1 को नियुक्त करने के लिए प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में अपीलकर्ता द्वारा एक आशय पत्र जारी किया गया।

"(1) कि आप आर. सी. डी. एफ. के साथ 5 लाख रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और यह व्यवस्था कानूनी रूप से निष्पादित अनुबंध के अस्तित्व में आने की तारीख से लागू होगी।

(2) ....

(3)..........................आपको सामान 15 दिन के क्रेडिट आधार पर अनुसूचित बैंक से प्रस्तुत करने पर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के विरुद्ध जारी किया जाएगा।..........(एस. आई. सी)

आपसे अनुरोध है कि आप 15 लाख रुपये की राशि आर. सी. डी. एफ., जयपुर के पक्ष में अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रुप में जमा करें।

आपके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित यह पत्र 5 जून 1990 तक जी. एम. (एम. एंड. पी.) तक पहुंचना चाहिए और 12.6.1990 (sic) के समझौते के निष्पादन के लिए हमें बुलाना चाहिए।

आपसे यह भी अनुरोध है कि 21 जून, 1990 से प्रभावी रुप से काम शुरु करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही करें और अपनी ओर से आगे की कार्रवाई करने के लिए तत्काल बाजार योजना जमा करें।"

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने 1 जून, 1990 के पत्र द्वारा आशय पत्र की प्राप्ति स्वीकार की। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि समझौता पर 12 जून, 1990 को हस्ताक्षर किए जाने थे और वह प्रतिवादी संख्या 1 अन्य बातों के अलावा एक अनुसूचित बैंक से अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पत्र में अपीलार्थी से बिक्री एजेंट के रुप में प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन जारी करने का अनुरोध था। हालाँकि, अपीलार्थी ने ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से खुद को एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में वर्णित किया और आगे गलत संकेत दिया कि यह पॉलीपैक दूध के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट भी था। अपीलार्थी ने विज्ञापन में गलत बयान का विरोध किया।

12 जून, 1990 को अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। प्रतिवादी उस तारीख को उपस्थित नहीं हुए और कुछ समय मांगा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 15 लाख रुपये की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी भी जमा नहीं किए गए थे। अपीलार्थी ने अपने 16 जुलाई, 1990 के पत्र द्वारा आशय पत्र को रद्द कर दिया। पत्र में, अपीलार्थी ने बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किया गया आशय पत्र एक अनुबंध में प्रवेश करने से पहले की शर्त के रुप में उसके कुछ दायित्वों को पूरा करने पर आधारित था।

(1) अन्य बातों के साथ-साथ शर्तें ये थी, 12जून, 1990 तक 15 लाख रुपये की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जमा करना और (2) 12 जून, 1990 तक अपीलार्थी के साथ एक समझौते का निष्पादन। इन दो शर्तों के अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थी को समझौते के निष्पादन से पहले पिछले वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि खाते और पिछले वर्ष की बैलेंस शीट को प्रस्तुत करने का भी वादा किया था।

प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा नहीं किया था। पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए अधिकृत विज्ञापन का भी उल्लेख किया गया हैजिसमें गलत वर्णन किया गया है स्वयं अपीलार्थी के एकमात्र विक्रय एजेंट के रूप में बताया गया और कहा कि इन परिस्थितियों में, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 निर्धारित अवधि के भीतर आशय अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। आशय पत्र को रद्द कर दिया गया। एक टैलीग्राम उसी तारीख को उसी प्रभाव से प्रतिवादी संख्या 1 को भी भेजा गया था।

प्रतिवादी संख्या 1 ने आशय पत्र रद्द करने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका को अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 की इस दलील को सही ठहराया कि अपीलार्थी द्वारा आशय पत्र को रद्द करने के लिए दिए गए कारण वैध नहीं थे। आशय पत्र को रद्द करना दुर्भावनापूर्ण था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति के बारे में विधान सभा में प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि प्रतिवादी सं०-1 तत्कालीन मुख्यमंत्री का बहनोई था।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने आशय पत्र को रद्द करने में मनमाने ढंग से काम किया और आशय पत्र को रद्द करने से पहले प्रतिवादी सं०-1 को सुनवाई न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष दायर अपील भी विफल रही। इसलिए अपीलार्थी वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आया है।

16 जुलाई, 1990 के अपने पत्र में प्रतिवादी सं०-1 के पक्ष में जारी आशय पत्र को रद्द करते हुए अपीलार्थी ने आशय पत्र को रद्द करने के कई कारण बताए थे। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता के अनुरोध के अनुसार पिछले वर्ष के लिए अपना लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट जमा नहीं की थी। प्रतिवादी सं०1 ने गलती से खुद को अपीलकर्ता का एकमात्र विक्रय एजेंट घोषत कर दिया था। ये स्पष्ट रुप से ऐसी परिस्थितयाँ हैं जो आशय पत्र को रद्द करने के लिए प्रासंगिक हैं। साथ ही आशय पत्र में उन शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पास थीं। जिसमें से एक शर्त 15 लाख रुपये की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जमा करने की थी। प्रतिवादी सं०- 1 का तर्क है कि उसने अपीलकर्ता को सूचित किया था कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तीन दिनों के भीतर बैंक गारंटी जमा कर देगा। हालाँकि, अपीलकर्ता का इस बात पर जोर देने का अधिकार है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले बैंक गारंटी जमा की जानी चाहिए। अपीलार्थी, एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के रूप में उस पक्ष की वित्तीय स्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट करने का हकदार है जिसे अपीलार्थी अपने बिक्री एजेंट के रूप में नियुक्त कर रहा है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं और खुद को एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया है जबकि उसकी जानकारी में, प्रतिवादी संख्या 1 को एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं था, ये वैध परिस्थितियाँ हैं। जिसे अपीलार्थी यह निर्णय लेने में ध्यान में रख सकता है कि किसी अनुबंध में प्रवेश करना है या नहीं और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ कानूनी रूप से खुद को बाध्य करना है या नहीं। इन परिस्थितियों में, यदि संपर्क रद्द कर दिया गया है तो इसे अपीलार्थी की ओर

से प्रतिवादी संख्या 1 के किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाई नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने आशय पत्र को रद्द करने में अपीलार्थी की ओर से दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने कुछ बाहरी संदर्भों पर भरोसा करने की कोशिश की है। जब रद्दीकरण के कारण स्पष्ट रुप से रद्दीकरण पत्र में बताए गए हैं और प्रतिवादी सं०-1 के साथ अनुबंध में प्रवेश न करने के निर्णय से संबंधित हैं तो हम यह देखने में असफल हो जाते हैं कि कैसे आपकी बाहरी परिस्थितियँ निर्णय को दुर्भावनापूर्ण कैसे बना सकती हैं।

उच्च न्यायालय इन परिस्थितियों में ऑडी आॅल्ट्रम पर्टम के सिद्धांत को लागू करने में सही नहीं। यदि प्रतिवादी संख्या 1 का आचरण ऐसा था कि वह अपीलार्थी में कोई विश्वास पैदा नहीं करता था, तो अपीलार्थी अपने विक्रय एजेंट के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ किसी भी कानूनी संबंध में प्रवेश करने से इनकार करने का हकदार था। आशय पत्र में केवल संपर्क करने का इरादा व्यक्त किया गया था। यदि आशय पत्र में निर्धारित शर्तें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूरा नहीं की गईं और यदि प्रतिवादी सं०-1 का आचरण अन्यथा ऐसा नहीं था जिससे विश्वास पैदा हो, तो अपीलार्थी आशय पत्र को वापस लेने का हकदार था। इस स्तर पर अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं था और अपीलार्थी यह निर्णय लेने में परिस्थिति की समग्रता को देखने का हकदार था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक बाध्यकारी संपर्क में प्रवेश करना है या नहीं।

प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क है कि अपीलार्थी के साथ अनुबंध में प्रवेश करने की प्रत्याशा में, प्रतिवादी संख्या 1 ने भारी खर्च किए। प्रतिवादी संख्या 1 के इस बयान को साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि क्षति का दावा विवादित तथ्यों के आधार पर किया गया है तो एक रिट याचिका एक उचित कार्यवाही नहीं है।

हम नहीं चाहते कि क्या, एक अनुबंध में प्रवेश करने की प्रत्याशा में, एक पक्ष जो खर्च वहन करता है, उसे दूसरे पक्ष से वसूल कर सकता है यदि वह अन्य पक्ष अंततः

अनुबंध में प्रवेश करने से इनकार कर देता है।

अतः अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

वी. एस. अपील स्वीकृत।

पियूषिका तिवारी
अपर सिविल जज (क०प्र०),
कोर्ट सं०2, हाथरस।
ID No.-3396